कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1965 / FP/UK/WATER/41158/2019 देहरादूनः दिनांकः 05 फरवरी, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को 15 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/WATER/41158/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.628** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि को **15** वर्षों की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में उक्त परियोजना निर्माण में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

5/2/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1965 / FP/UK/WATER/41158/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

5/2/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद– देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को 15 वर्षों की लीज पर दिया जाना।
(Online proposal no- FP/UK/WATER/41158/2019)

जनपद–देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.628 हे0 वन भूमि का पेयजल निगम, देहरादून को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **0.628** हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–देहरादून/प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में उक्त परियोजना निर्माण में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

तिथि : 05/02/2020
स्थान : देहरादून